

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर  
पीठासीन अधिकारी मोहनलाल खटनावलिया  
राजस्व प्रार्थना पत्र 88/2018

शिवसिंह पुत्र श्री गंगासिंह  
जाति राजपूत निवासी ग्राम नगर, तहसील विजयनगर जिला अजमेर ।

.....प्रार्थी

बनाम

1. छोटू पुत्र श्री कल्याण बैरवा ।
2. हरदेव पुत्र श्री कल्याण बैरवा ।
3. रामकरण पुत्र श्री कल्याण बैरवा तीनो जाति बैरवा ।
4. घीसा पुत्र श्री काना गुर्जर ।
5. दूदाराम पुत्र श्री सोजीराम गुर्जर ।
6. हीरालाल पुत्र श्री सोजीराम गुर्जर ।
7. छोटूलाल पुत्र श्री सोजीराम गुर्जर ।
8. प्रभूलाल पुत्र श्री सोजीराम गुर्जर ।
9. श्रीमति रूकमा देवी पत्नि श्री हीरालाल गुर्जर 4 लगायत 9 जाति गुर्जर निवासी ग्राम नगर, तहसील विजयनगर जिला अजमेर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये भूधारक तहसीलदार विजयनगर जिला अजमेर ।

.....अप्रार्थीगण

राजस्व पार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम नगर पटवार हल्का शिखरानी तहसील विजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा नम्बर 738/4 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, 741 रकबा 4.0590 हैक्टेयर, 743 रकबा 0.6758 हैक्टेयर, बिधा उसकी खुदकाशत से खातेदारी की भूमि है जिनमें पडौसी काशतकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते हैं अतः नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम नगर पटवार हल्का शिखरानी की जमाबंदी संवत 2071-74 के खाता संख्या 459 में खसरा नम्बर 738/4 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, 741 रकबा 4.0590 हैक्टेयर, 743 रकबा 0.6758 हैक्टेयर, बिधा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में है अतः वे पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाये जाते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये जाते हैं कि -

आदेश

तहसीलदार विजयनगर को ग्राम नगर पटवार हल्का शिखरानी स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 738/4 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, 741 रकबा 4.0590 हैक्टेयर, 743 रकबा 0.6758 हैक्टेयर, बिधा में मौका कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार राशि प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2019 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।



(मोहनलाल खटनावलिया)  
(मोहनलाल खटनावलिया)

